मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)

☎ (का.) 0755 2551659, 2554809, फैक्स : 0755-2556065

ई-मेल : mphousing@gmail.com

क्रमांक – 318 /का.प्र.2/मण्डल/2015 भोपाल, दिनांक 01.06.2015

|| आदेश ||

1. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 2015 में परिशिष्ट–1 में अनुभाग 6 (स्थानान्तरण एवं पदस्थापना) में मण्डल के कार्मिकों के लिए स्थानान्तरण नीति निर्धारण संचालक मण्डल द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

संचालक मण्डल के 230 वें सम्मिलन दिनांक 19.05.2015 की पद संख्या–06 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर संकल्प क्रमांक 4847–06/ 230/ 05/2015 द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन) विनियम 2015 के अनुभाग– 6 में प्रदत्त अधिकारों के तहत मण्डल कार्मिकों के स्थानांतरण के लिये निम्नानुसार स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है :–

(i) प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में अधिकतम निम्नानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेगें।

क्रमांक	पद/सवंर्ग की संख्या	अधिकतम स्थानान्तरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर)
1	200 तक	20 प्रतिशत
2	201 से अधिक	40 + 200 से ऊपर का 10 प्रतिशत

(ii) मण्डल में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के एक ही स्थान पर पांच वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यतः पॉच वर्ष पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानान्तरण किया जा सकेगा। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि यथास्थिति 3/5 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किया जावे।

(iii) परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के कारण भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(iv) **स्वयं के व्यय पर आपसी स्थानान्तरण** – स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर उसके कार्यालय प्रमुख के द्वारा सत्यापित किए जाएं। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किये गये स्थानान्तरण तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये स्थानान्तरण संबंधी आदेश अलग–अलग जारी किये जाए।

(v) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यतः उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाए। यदि प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो उनके द्वारा दिये गये उपलब्ध रिक्त पदों में से विकल्प के अनुसार स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जाए।

(vi) पति–पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति/पत्नी यदि एक ही जिले/मुख्यालय में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।

(vii) कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अत्यन्त गंभीर बीमारी, किडनी खराब होने के कारण डायलेसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानान्तरण चाहने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(viii) शिकायती जांच के परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानान्तरित किया गया हो तो उसे पुनः उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जावेगा।

(ix) ऐसे निःशक्त कर्मचारी, जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के सामान्यतः स्थानान्तरण न किये जायें, किन्तु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानान्तरण का आवेदन देने पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु निःशक्त कर्मचारी की शिकायत प्राप्त होने एवं दोषी पाये जाने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(x) ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता, स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित है, को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहां निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें।

(xi) किन्हीं भी कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानान्तरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, किन्तु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(xii) जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदण्ड से अधिक स्टाफ है, उसे अन्यत्र स्थानान्तरित कर युक्तियुक्तकरण किया जाए।

(xiii) मुख्यालय को छोड़कर किसी भी स्थापना में सामान्यतः स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावेगी।

(xiv) क्रय/स्टोर/स्थापना/संपदा शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। जो अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं मण्डल निधि के दुरूपयोग/गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाएं, उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाए। ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुनः ऐसे पद पर पदस्थ न किया जाए।

(xv) जिस स्थान पर अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हों, वहां उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाए।

(xvi) **कार्यमुक्ति की अवधि में वृद्धि** – यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यो को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। स्थानान्तरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनधिक बढ़ा सकेगा। ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक ही स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा।

27/5/15

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)

☎ (का.) 0755 2551659, 2554809, फैक्स : 0755-2556065

ई-मेल : mphousing@gmail.com

(xvii) **एकतरफा कार्यमुक्ति** – यथा स्थिति एक सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।

(xviii) **वेतन आहरण** – स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित अवधि के पश्चात् स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन आहरण पूर्व पदस्थापना से बंद हो जाएगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे इसके लिए कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा।

कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

(xix) **अपालन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही** – स्थानान्तरण आदेश का बिना युक्ति संगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावे।

(xx) **अवकाश स्वीकृति** –कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश कार्मिक प्रशासन शाखा का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा। स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जायेगा।

(xxi) कर्मचारियों/अधिकारियों को दोहरा प्रभार सामान्यतः नहीं दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था किये जाने पर औचित्य दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

(xxii) सामान्यतः स्थानान्तरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए।

(xxiii) म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन) विनियम–2015 के अनुभाग–1 प्रशासन के भाग–6 (स्थानान्तरण एवं पदस्थापना) के तहत आयुक्त को इस नीति से परे (Irrespective of The Transfer Policy) समस्त कार्मिकों की पदस्थापना/ स्थानान्तरण करने के पूर्ण अधिकार रहेंगे।

(xxiv) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी एवं वृत्त के उपायुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिको का स्थानान्तरण/पदस्थापना स्थानान्तरण नीति के अनुसार म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन) विनियम–2015 के अनुभाग– 1 प्रशासन के भाग–6 (स्थानान्तरण एवं पदस्थापना) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कर सकेगें।

27/7/15

(xxv) उक्त स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण 01 अप्रैल से 30 जून तक किए जा सकेंगे। उक्त के पश्चात आयुक्त के अनुमोदन से ही स्थानान्तरण हो सकेंगे।

(xxvi) उक्तानुसार स्थानान्तरण नीति जब तक अन्यथा परिवर्तित नहीं की जाती, लागू रहेगी।

2. स्थानान्तरण नीति के निर्वचन (Interpretation) के लिए आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

संचालक मण्डल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल मुख्यालय भोपाल

पृ.क्रमांक 1187 /का.प्र.2/मण्डल/2015 भोपाल, दिनांक– 01.06.2015

प्रतिलिपि :–

1– निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल

2– अपर आयुक्त, (1/2) म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.

3– उपायुक्त, (1/2/3) म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.

4– वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य संपदा अधिकारी/मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी/मुख्य वास्तुविद म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल

5– प्रभारी अधिकारी(मण्डल सचिवालय),म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंचन विकास मण्डल, भोपाल।

6– उपायुक्त, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल,वृत्त– .....

7– उपायुक्त, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विद्युत वृत्त भोपाल

8– कार्यपालन यंत्री, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग–.....

9– कार्यपालन यंत्री,म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंचना विकास मण्डल, विद्युत संभाग– .....

10– भू–अर्जन अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी/को–आर्डिनेटर/शाखा अधिकारी (का.प्र.1/2/एम.एम.), म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.

11– प्रभारी कम्प्यूटर शाखा/स्टेनो मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, मुख्यालय भोपाल ।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल, मुख्यालय भोपाल.